

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAIPUR-IX

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 31-08-2018 12:50 PM

Fee Receipt No	201802182007355	Receipt Date	: 31/08/2018
Name	RAVIENDRA PRATAP SINGH AS PARTNER M/S RAVI SURYA AFFORDABLE HOMES,	Document S. No.	: 201801182005845
Address	K-47-48, HIMMAT NAGAR, JAIPUR, JAIPUR		
Document Type	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	₹ 15910684	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 159107	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 159108	Stamp Duty	: ₹ 795540
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 1114055
		Total Amount	: ₹ 1114055

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Registration Receipt RJ1231241808915 ₹ 9107 # e-Registration Receipt RJ1231231808904 ₹ 50300 # e-Registration Receipt RJ1231241808913 ₹ 50000 # e-Gras Challan 0024962559 ₹ 954648 # e-Registration Receipt RJ1231231808912 ₹ 50000

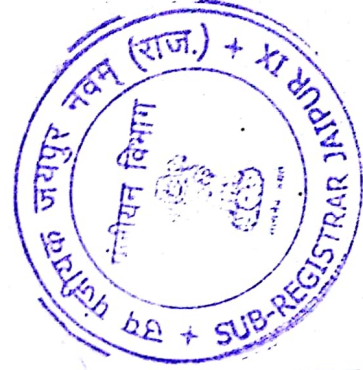
Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उपपंजीयक
जयपुर नवम्



Presentation Endorsement

आज दिनांक 31 माह 08 सन् 2018 को 12:22 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री RAVIENDRA PRATAP SINGH AS PARTNER M/S RAVI
SURYA AFFORDABLE HOMES पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री B. S. PARIHAR
उम्र 44 वर्ष, जाति HINDU, व्यवसाय Business
निवासी House No.:K-47-48, Colony: HIMMAT NAGAR, Area: TONK
ROAD, City: JAIPUR, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State:
RAJASTHAN

ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रमाणित

201801182005845

उप पंजीयक
हस्ताक्षर उप पंजीयक
जयपुर नवम्
JAIPUR-IX

Lease Deed or Sale Deed, executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802182007355
दिनांक	31-08-2018
पंजीयन शुल्क ₹	159107
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	795540
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	159108
कुल योग	1114055

201801182005845

Lease Deed or Sale Deed, executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

उप पंजीयक
हस्ताक्षर उप पंजीयक
जयपुर नवम्
JAIPUR-IX



Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt

FIRST COPY

SRO Unique ID 201801182005845R
S R Location JAIPUR IX
Receipt No RJ1231241808915
Name Of Seller JDA
Name Of Buyer MS RAVI SURYA AFFORDABLE HOMES
Type of Document Patta
ACC Reference SHCIL/SHCIL RAJASTHAN/JAIPUR X

Receipt Date 31-AUG-2018 12:38



Paid Fees

Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Registration Fees	₹ 9107	CSI	₹ 0
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 0
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹ 0
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	₹ 9107	Service Charges	₹ 10
Grand Total	₹ 9117		
(Rupees Nine Thousand One Hundred Seventeen Only)			



Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.



Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt

FIRST COPY

SRO Unique ID 201801182005845R Receipt Date 31-AUG-2018 12:38
S R Location JAIPUR IX
Receipt No RJ1231241808913
Name Of Seller JDA
Name Of Buyer MS RAVI SURYA AFFORDABLE HOMES
Type of Document Patta
ACC Reference SHCIL/SHCIL RAJASTHAN/JAIPUR X

Paid Fees			
Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Registration Fees	₹ 50000	CSI	₹ 0
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 0
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹ 0
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	₹ 50000	Service Charges	₹ 40
Grand Total	₹ 50040		
(Rupees Fifty Thousand Forty Only)			



Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.



Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt



FIRST COPY

SRO Unique ID 201801182005845R
S R Location JAIPUR IX
Receipt No RJ1231231808912
Name Of Seller JDA
Name Of Buyer MS RAVI SURYA AFFORDABLE HOMES
Type of Document Patta
ACC Reference SHCIL/SHCIL RAJASTHAN/JAIPUR X

Receipt Date

31 AUG 2018 12:38

Paid Fees

Particulars	Amount (Rs.)
Registration Fees	₹ 50000
Copy of Fees	₹ 0
Late Fees	₹ 0
Other Charges	₹ 0
Total Amount	₹ 50000
Grand Total	₹ 50040
(Rupees Fifty Thousand Forty Only)	

Particulars	Amount (Rs.)
CSI	₹ 0
Record Inspection Fees	₹ 0
Commission Fees	₹ 0
Service Charges	₹ 40



Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.



Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt

FIRST COPY

SRO Unique ID 201801182005845R
S R Location JAIPUR IX
Receipt No RJ1231231808904
Name Of Seller JDA
Name Of Buyer MS RAVI SURYA AFFORDABLE HOMES
Type of Document Patta
ACC Reference SHCIL/SHCIL RAJASTHAN/JAIPUR X

Receipt Date

31-AUG-2018 12:38



Paid Fees			
Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Registration Fees	₹ 50000	CSI	₹ 300
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 0
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹ 0
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	₹ 50300	Service Charges	₹ 40
Grand Total	₹ 50340		
(Rupees Fifty Thousand Three Hundred Forty Only)			



Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.

e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan



GRN: 0024962559



Payment Date: 30/08/2018 15:50:03

Office Name: Sub Registrar IX Registration & Stamps Jaipur
Location: JAIPUR (CITY)
Period: 01/04/2018-To-31/03/2019

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-02-00-स्टाम्प शुल्क पर अधिभार	79554.00
2	0030-02-800-03-00-स्टाम्प शुल्क पर गो संवर्धन/ संरक्षण हेतु अधिभार	79554.00
3	0030-02-103-01-00-दस्तावेजों के मुद्रांकन/कमी मुद्रांक हेतु प्राप्त आय	795540.00
Commision(-):		0.00
Total/NetAmount:		954648.00

Nine Lakh Fifty Four Thousand Six Hundred Forty Eight Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: RAVI SURYA AFFORDABLE HOMES	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable): AAVFR7096Q	City(Pincode): JAIPUR(302001)
Address:GROUP HOUSING PLOT K.NO. 2520,2521,2535,2536, VILLAGE GONER, TEHSIL SANGANER, JAIPUR	Remarks:JDA PATTA ISSUED IN NAME OF RAVI SURYA AFFORDABLE HOMES AUTHORITY JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR document type - JDA PATTA , LEASE DEED

Payment Details:

Bank: State Bank Of India	Challan No. - 0
Date: 30/08/2018 15:50:03	Bank CIN No: 000632602540730082018
	Refrence No: IK00SVIXB0

Computer generated copy on : 30/08/2018

Courtesy : <https://Egras.raj.nic.in>

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
ज.वि.प्रा. की योजना/निजी वास्तव्य/निजी वास्तव्य
ग.वि.स.स. की योजना 211X
संख्या 2520, 2521, 2535, 2536 क्षेत्रफल 18656.05 वर्ग मी.
की लीजडीड हेतु 795540+50 रुपये स्टाम्प संयोजन है।
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-09
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



उप पंजीयक
जयपुर नवम्



e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: 0024962559



Payment Date: 30/08/2018 15:50:03

Office Name: Sub Registrar IX Registration & Stamps Jaipur

Location: JAIPUR (CITY)

Period: 01/04/2018-To-31/03/2019

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-02-00-स्टाम्प शुल्क पर अधिभार	79554.00
2	0030-02-800-03-00-स्टाम्प शुल्क पर गो संवर्धन/ संरक्षण हेतु अधिभार	79554.00
3	0030-02-103-01-00-दस्तावेजों के मुद्रांकन/कमी मुद्रांक हेतु प्राप्त आय	795540.00

Commission(-): 0.00

Total/NetAmount: 954648.00

Nine Lakh Fifty Four Thousand Six Hundred Forty Eight Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: RAVI SURYA AFFORDABLE HOMES	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable): AAVFR7096Q	City(Pincode): JAIPUR(302001)
Address:GROUP HOUSING PLOT K.NO. 2520,2521,2535,2536, VILLAGE GONER, TEHSIL SANGANER, JAIPUR	Remarks:JDA PATTa ISSUED IN NAME OF RAVI SURYA AFFORDABLE HOMES AUTHORITY JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR document type - JDA PATTa , LEASE DEED

Payment Details:

Bank:	State Bank Of India	Challan No. - 0
Date:	30/08/2018 15:50:03	Bank CIN No: 000632602540730082018
		Reference No: IK00SVIXB0

Computer generated copy on : 30/08/2018

Courtesy : <https://Egras.raj.nic.in>

उक्त राशि राज्य सरकार के खाते में जमा हो चुकी है।

उप पंजीयक
जयपुर नवम्

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50

FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

U 108083



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
ज.वि.प्रा. की योजना/निजी खातेदारी निजी खातेदारी
गुनिस नं. 214/211-1 में मुख्य
संख्या 18656/06 न.न./व.मी.
क्षेत्रफल 18656/06
रुपये स्टाम्प संख्या है।
नं. 95540+50
उप पंजीयक
जयपुर नवम्

उप पंजीयक
जयपुर नवम्

1966

महोदय का पता
जन्म स्थान/शायतना
पिता/पति श्री
निवास स्थान
सम्बन्ध

[illegible]

सत्यवार यादव
३५०/२०११-१२
९०/२०११-१२
जे.पी.ए. पब्लिशिंग हाउस

स्वास्थ्य अधिनियम, 1938
स्वास्थ्य राशि पर प्रमाणित अधिभाः

1. आधारभूत अवसरधना सविधाओं अंतर्गत
(धारा 3-क) 10% स्वाम्य

कुल योग





जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख



श्रीमती वसुंधरा राजे,
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार

यह विलेख आज वर्ष के माह के दिन "जयपुर विकास प्राधिकरण" द्वारा जारी किया गया है।
श्री के माह के दिन "जयपुर विकास प्राधिकरण" द्वारा जारी किया गया है।
पुत्र श्री के माह के दिन "जयपुर विकास प्राधिकरण" द्वारा जारी किया गया है।

व्यवसाय निवासी के माह के दिन "जयपुर विकास प्राधिकरण" द्वारा जारी किया गया है।
(जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) एवं द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह जमा भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम के खसरा/भूखण्ड संख्या के क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात:-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारक (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- पट्टेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर नियमन दर रुपये प्रति वर्गज से कुल नियमन राशि रुपये देय होती है जो चालान नं. से जमा है। इसका 2.5 प्रतिशत की दर से शहरी जमाबन्दी देय है। आदेश क्रमांक : एफ-9(15) यू.डी. 13/2001 दिनांक 15.1.2002 से 8 वर्षों लीज राशि रुपये होती है, जो चालान नं. दिनांक से जमा है।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
- इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शेड्यूल बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/ एच.डी.एफ.सी अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।
- योजना में आन्तरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृहनिर्माण सहाकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

उप पंजीयक
जयपुर नवम्

(कृ.प.उ.)

परिशिष्ट

कस्बे का नाम: जयपुर पूर्व..... पश्चिम..... भूखण्ड की संख्या यदि
राजस्व ग्राम: 2520, 2521, 2535 कोई हो..... सीमा उत्तर..... दक्षिण.....
खसरा नम्बर: 2536 मानचित्र संलग्न है।
योजना का नाम: नया क्षेत्रफल चर्ग गज
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल चर्ग गज/मीटर: 18656.05 वर्ग मीटर

नोट:- इस भूखण्ड की शहरी जमाबन्दी को जोड़कर पंजीकृत मूल्य राशि रु. 15910684/- होती है। अतएव स्टाम्प राशि रु. 79550153 के न. 18656.05 के कुल संख्या 42 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।



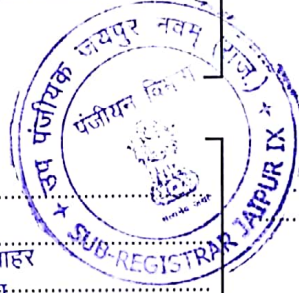
जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से
आज सन् 2018 के माह अक्टू के 31 वें दिन

श्री राजेश कुमार गुप्ता

ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये-

साक्षी :-

1. नाम.....
पुत्र चन्द्र शेखर चाहर
व्यवसाय पुत्र श्री स्व. रामली लाल चाहर
निवास स्थान सहायक ज. पि. आ. सेवा जयपुर



साक्षी

2. नाम.....
पुत्र मोहम्मद मोहम्मद
व्यवसाय पुत्र श्री नूर मोहम्मद
निवास स्थान से. नि. सहायक जयपुर

साक्षी

आज सन् 20..... के माह
के..... वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त
श्री.....
लीजधारक द्वारा कार्यालय..... में हस्ताक्षर किये गये।

FOR RAVI SURYA AFFORDABLE HOMES
Ravi Surya
Authorized Signatory
लीजधारक-द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

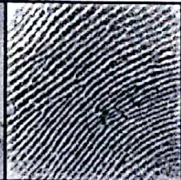
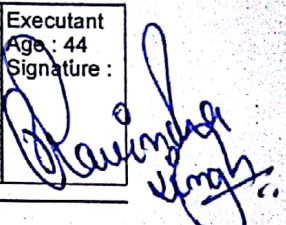
1. नाम SANJAY SHARMA
पुत्र MAHARU GOPAL SHARMA
व्यवसाय JOB
निवास स्थान KOT KHAWADA

साक्षी

2. नाम SHISH RAM SAINI
पुत्र MANOJ LAL SAINI
व्यवसाय JOB
निवास स्थान KAWALARI JHUNJHUN

साक्षी

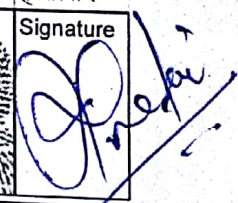
Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/शुश्री RAVIENDRA PRATAP SINGH AS PARTNER M/S RAVI SURYA AFFORDABLE HOMES, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री. B. S. PARIHAR, व्यवसाय Business जाति HINDU House No.:K-47-48, Colony: HIMMAT NAGAR, Area: TONK ROAD, City: JAIPUR, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age: 44 Signature: 

ने लेख्यपत्र Lease Deed or Sale Deed, executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male) को पत्र सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

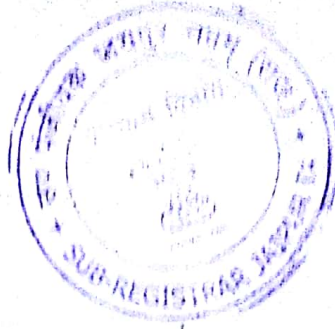
प्रतिफल राशि रु 15910684/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मैं से रु 15910684/- पूर्व में ————— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/शुश्री SHASHANK, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ASHOK जाति HINDU Age: 25 Add: House No.:516, Colony: PARIS POINT, Area: BANI PARK, City: JAIPUR, Pin code: 302016, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature: 

201801182005845

Lease Deed or Sale Deed, executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)



Registration Endorsement

आज दिनांक 31/08/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 90 में
पृष्ठ संख्या 66 क्रम संख्या 201803182105302 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 368 के
पृष्ठ संख्या 317 से 329 पर चरपा किया गया।

201801182005846

Lease Deed or Sale Deed, executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1950 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (In favour of male)

उप पंजीबद्ध JAIPUR-IX
नवम्

**SITE PLAN OF RESIDENTIAL SINGLE PATTA
KHASRA NO. :- 2520,2521,2535,2536 UNDER PROVISION 3A
OF CHIEF MINISTER'S JAN AWAAS YOJNA 2015
A VILLAGE - GONER TEH. - SANGANER, JAIPUR**

TOTAL PLOT AREA - 15598.71 SQ MT. (18656.05 SQ. YDS)

AREA SURROUNDING IN 24 MT. & 18 MT. WIDE ROAD @

FREE OF COST IN JDA - (25.75+454.10) 479.85 SQ. MT.

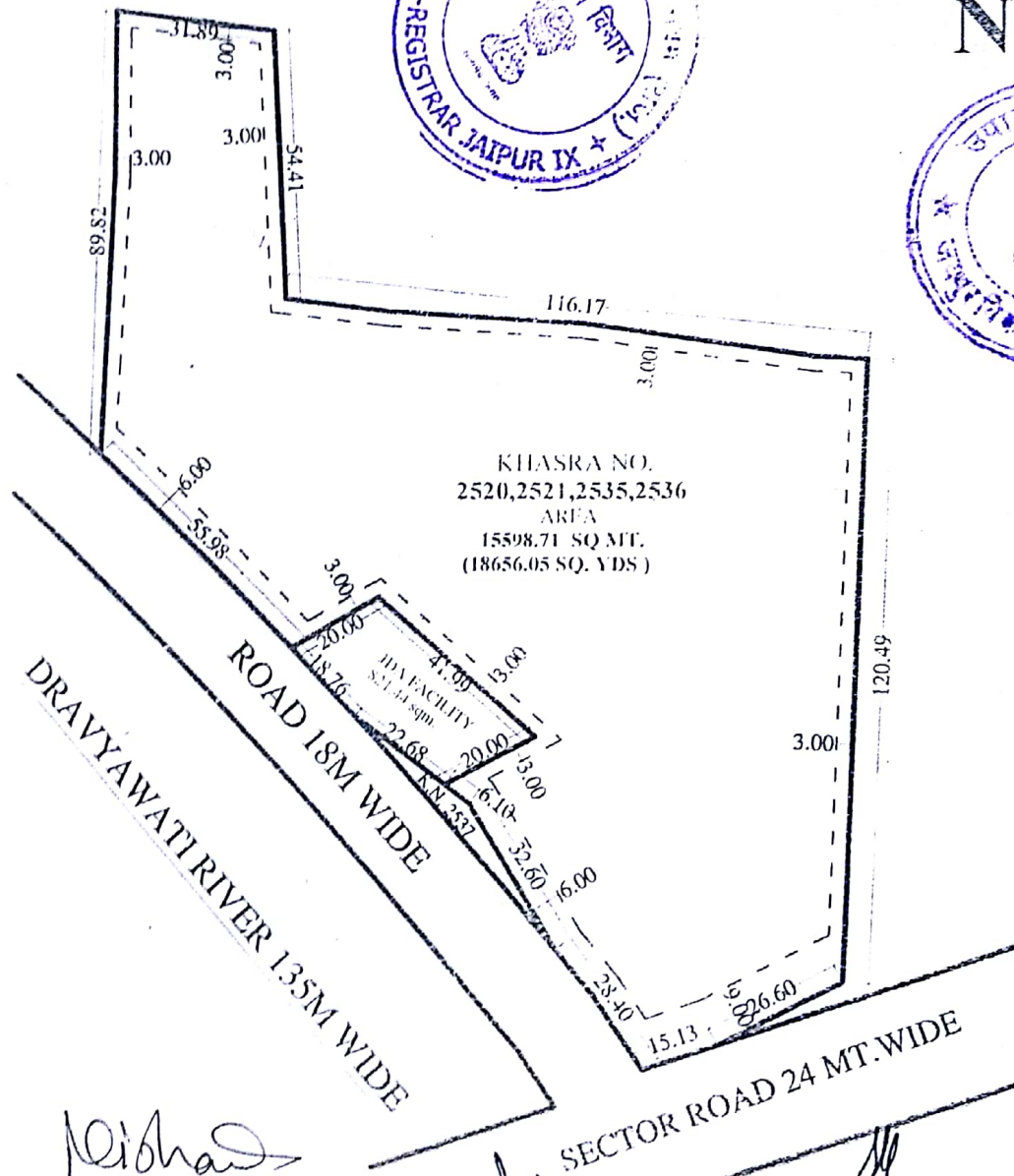
JDA FACILITY 5% - 821.44 SQ. MT.

TOTAL LAND AREA - 16900.00 SQ. MT.

PARAMETERS AS PER CHIEF MINISTER'S JAN AWAAS YOJNA / BBL2017

**SIDE AND REAR SETBACK SHALL BE MIN. OF 3 MT. FOR BUILDING HEIGHT UP TO 15 MT
AND MIN. 6 MT. FOR BUILDING HEIGHT ABOVE 15 MT**

SCALE - 1 CM = 15 MT.



**KHASRA NO.
2520,2521,2535,2536
AREA
15598.71 SQ MT.
(18656.05 SQ. YDS)**

[Signature]
**SITE ENGINEER
ZONE-9**

[Signature]
**ATTA
ZONE-9**

[Signature]
**BY COMMISSIONER
उपपञ्जीयक एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-09
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

**JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
JAIPUR**

Registration Endorsement

आज दिनांक 31/08/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 90 में
पृष्ठ संख्या 66 क्रम संख्या 201803182105302 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 358 के
पृष्ठ संख्या 317 से 329 पर चरपा किया गया।

201801182005845

Lease Deed or Sale Deed, executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Rajkot-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Pemission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

उप-पंजीयक, JAIPUR IX

